

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 1016/2023 (धारा 14 सिक्योरिटीज़ेशन)  
जना स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड, जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, ग्रीन हाऊस, प्लॉट नं. ओ-15, अशोक  
मार्ग, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री आनन्द स्वरूप पारीक पुत्र श्री राम स्वरूप पारीक प्रोपराईटर मैसर्स एकता स्टोर,  
पता:- वैकटेश्वर मंदिर, सूरजपोल, जयपुर  
एवं यूनिट नं. एस-201, 202, द्वितीय तल, नवानंद प्लाजा, हाऊस नं. 5, न्यू नं. ए-64, संतोष  
नगर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर।
2. श्रीमती आशा पारीक पत्नी श्री आनन्द स्वरूप पारीक,  
पता:- यूनिट नं. एस-201, 202, द्वितीय तल, नवानंद प्लाजा, हाऊस नं. 5, न्यू नं. ए-64,  
संतोष नगर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर।



application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित:- इरफान खान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 16.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती आशा पारीक पत्नी श्री आनन्द स्वरूप पारीक के स्वामित्व की सम्पत्ति नवानंद प्लाजा, हाऊस नं. 5, न्यू नं. ए-64, संतोष नगर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित यूनिट नं. एस-201, 202, कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट को बंधक रख कर ऋण खाता संख्या 30179440000099 में राशि 23,00,000/- रुपये, ऋण खाता संख्या 30179670000086 में राशि 03,08,232/- रुपये एवं ऋण खाता संख्या 30179670000212 में राशि 01,48,820/- रुपये, कुल राशि 27,57,052/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीमाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 27,57,052/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 27,39,555.86/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.08.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती आशा पारीक पत्नी श्री आनन्द स्वरूप पारीक के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति नवानंद प्लाजा, हाऊस नं. 5, न्यू नं. ए-64, संतोष नगर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित यूनिट नं. एस-201, 202, कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं प्रार्थना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 16.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला माजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर